

वित्त मंत्रालय

सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 06 FEB 2017 12:01PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकितिक) की अधिसूचित राशि के लिए "6.84 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022" (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 5,000 करोड़ रुपये (सांकितिक) की अधिसूचित राशि के लिए "6.97 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026" (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकितिक) की अधिसूचित राशि के लिए "7.73 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034" (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकितिक) की अधिसूचित राशि के लिए "7.06 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046" की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। एकाधिक मूल्य पद्धित का उपयोग करते हुए नीलामियों का संचालन करेगा।

स्टॉक बिक्री की कुल अधिसूचित राशि के पांच फीसदी तक का आवंटन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के मुताबिक योग्य व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जायेगा।

नीलामी के लिए स्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 10 फरवरी, 2017 (शुक्रवार) को भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूसशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 10 फरवरी, 2017 (शुक्रवार) को की जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 13 फरवरी, 2017 (सोमवार) को किया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 नवंबर 2006 को जारी सर्कुलर नं. आरबीआई/2006-07/178 के अंतर्गत 'केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों में जारी लेन-देन' पर बने दिशा-निर्देशों और समयानुसार हुए संशोधनों के क्रम में स्टॉक्स जारी होने के साथ ही ट्रेडिंग के योग्य हो जाएंगे।

वीके/एजे/वाईबी-325

(Release ID: 1481934) Visitor Counter: 6









IN